

UPFD010008062016



न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-7, फिरोजाबाद

उपस्थित – विजय कुमार आजाद, (एच०जे०एस०)

**सिविल अपील संख्या – 03/2016**

1- श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी चन्द्रपाल सिंह निवासी नगला चौहान मजरा ग्राम चिढरई पृथ्वी सिंह तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद ...अपीलार्थी/प्रतिवादिनी।

**बनाम**

1- हरीमोहन पुत्र श्री मथुरा प्रसाद दत्तक पुत्र जरजोधन ग्राम चिढरई पृथ्वी सिंह तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद। विक्रेता।

1/1- अवधेश कुमार पुत्र यशपाल सिंह ठाकुर, निवासी नगला सिरसागंज मोहल्ला इटावा रोड, जिला फिरोजाबाद। क्रेता।

2- मथुरा प्रसाद पुत्र श्री मेवाराम ब्राह्मण निवासी ग्राम चिढरई पृथ्वी सिंह तहसील जसराना जिला फिरोजाबाद।  
..... प्रत्यर्थीगण/वादी।

### निर्णय

1- प्रस्तुत सिविल अपील, अपीलार्थी श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा मूल वाद संख्या 505/1997 हरीमोहन बनाम श्रीमती कृष्णा देवी आदि के मामले में विद्वान सिविल जज (जू०डि०), शिकोहाबाद, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 02-08-2011 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

2- संक्षेप में वादपत्र कथानक इस प्रकार है कि वादी, मथुरा प्रसाद प्रतिवादी संख्या 2 का पुत्र था और वादी को उसकी वाल्यावस्था में जब उसकी उम्र लगभग दो-ढाई वर्ष थी, जरजोधन पुत्र श्री जवाहर निवासी ग्राम चिढरई पृथ्वी सिंह तहसील जसराना द्वारा गोद लिया और गोद लेने के पश्चात वादी मथुरा प्रसाद प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र के स्थान पर जरजोधन उपरोक्त का दत्तक पुत्र हो गया और उनके साथ ही रहकर परिवरिश एवं परदाख्त पाता रहा। जरजोधन ने वादी को गोद लिये जाने का गोदनामा रजिस्ट्रीशुदा दिनांक 11-10-1976 को निष्पादित किया था। जरजोधन की मृत्यु वादी की वाल्यावस्था में ही गोद लेने के कुछ समय पश्चात हो गई और वादी की परवरिश व परदाख्त मथुरा प्रसाद प्रतिवादी संख्या 2 ही करते रहे तथा जरजोधन खेत नं०- 54 मवाजी 1.99 एकड़ स्थित ग्राम चिढरई पृथ्वी सिंह तहसील जसराना के काश्तकार संक्रमणीय भूमिधर थे।

3- जरजोधन की मृत्यु के पश्चात उनका सबसे नजदीकी वारिस बतौर दत्तक पुत्र वादी उक्त भूमि का संक्रमणीय भूमिधर हुआ और वादी बराबर खेती करता

चला आ रहा है। वादी के अवयस्क होने के कारण किसी गलती से राजस्व अभिलेखों में वादी की उम्र एवं वादी के पिता का नाम गलत दर्ज हो गया और वादी के पिता के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज हो गया और वादी के पिता के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज रहा जबकि वादी बतौर दत्तक पुत्र जरजोधन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए था। वादी बराबर उक्त भूमि पर काबिज व दखील आया लेकिन फरवरी सन 1995 में लेखपाल इलाका से उक्त खेत की फर्द खतौनी लेने पर ज्ञात हुआ की उक्त खेत पर वादी के नाम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का इद्राज हो गया जिससे वादी को अत्यन्त आश्चर्य हुआ। वादी द्वारा जब अधिक जानकारी की तो वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त खेत का बैनामा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में बिल्कुल अवैधानिक रूप से तहरीर कर दिया है और उक्त कथित बैनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम की अमलदरामद राजस्व अभिलेखों में करा ली है। उक्त कथित बैनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 का आज तक कोई कब्जा दखल उक्त खेत की भूमि पर नहीं हुआ और वादी ही बराबर काबिज व दखील चला आ रहा है और उक्त बैनामा निरस्त किये जाने योग्य है।

**4-** प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 के हक में निष्पादित बैनामा दिनांक 18-02-1991 उपर्युक्त एवं शुन्य एवं निष्प्रभावी दस्तावेज है क्योंकि वादी के संरक्षक के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 को कतई कोई वैधानिक अधिकार वादी के उक्त खेत संख्या 54 को वादी की ओर से बिक्री करने का न था तथा कथित बैनामा की दिनांक पर वादी की उम्र केवल 9 वर्ष बैनामा निजाई में प्रदर्शित की गयी है जबकि वादी की उम्र कथित बैनामा की दिनांक पर लगभग 17 वर्ष की थी तथा विवादित बैनामा से पूर्व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा न तो वादी की सहमति ही प्राप्त की गयी थी और न माननीय जिला जज महोदय फिरोजाबाद से ही उक्त खेत को वादी की ओर से बिक्री करने की अनुमति प्राप्त की गयी, विवादित बैनामा की बिक्री दिनांक पर वादी की कोई आवश्यकता न थी और वादी की परवरिश भली प्रकार से उक्त खेत में पैदा होने वाली फसल से होती चली आ रही है और कोई आवश्यकता विवादित खेत को बिक्री करने की न थी तथा विवादित बैनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 का हरगिज कोई कब्जा व दखल खेत संख्या 54 उपर्युक्त की भूमि पर नहीं हुआ और वादी ही बराबर तन्हा खेती करता चला आ रहा है। अतः उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रश्नगत बैनामा मन्सूख किया जाये।

**5-** प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा प्रतिवादपत्र 22 क प्रस्तुत करके कहा गया कि जरजोधन प्रतिवादी संख्या 2 मथुरा प्रसाद के खानदानी चाचा थे और वे कथित गोदनामा दिनांक के पूर्व से ही मथुरा प्रसाद के ही साथ रहते थे तथा वादी के गोद के लिए जाने के उपरान्त भी वादी तथा जरजोधन मथुरा प्रसाद के साथ ही रहे तथा बाद मृत्यु जरजोधन, वादी मथुरा प्रसाद के साथ ही अपनी नाबालिगी के

दौरान रहा तथा मथुरा प्रसाद ही सदैव उसके संरक्षक रहे तथा उसकी परवरिश उन्होंने ही बहैसियत संरक्षक की और अब भी वादी मथुरा प्रसाद के साथ ही बहैसियत सदस्य संयुक्त परिवार रहता चला आ रहा है तथा दिनांक गोदनामा वादी की उम्र लगभग 3 वर्ष थी जैसा कि वादपत्र की धारा 1 में भी दर्शाया गया है। गोद लिये जाने के लगभग ढाई वर्ष उपरान्त ही जरजोधन की मृत्यु हो गयी थी और मथुरा प्रसाद कुदरती पिता वादी ने ही बहैसियत संरक्षक दौरान नाबालिगी वादी उसकी परवरिश की थी तथा मथुरा प्रसाद ही हमेशा वादी का संरक्षक रहा था। राजकीय भू अभिलेखों तथा स्कूल रजिस्टर प्रा०पा०चिढरई पृथ्वी सिंह में भी उसकी बल्दियत व सरंक्षक में कुदरती पिता मथुरा प्रसाद का ही नाम अंकित चला आ रहा है।

6- वादी के कुदरती पिता मथुरा प्रसाद ने बाद मृत्यु जरजोधन विवादित बिक्रीपत्र बहैसियत संरक्षक वादी परिवार के कर्ता की हैसियत से लीगल नैसेसिटी के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से बिक्रीत भूमि का उचित मूल्य प्राप्त करने के उपरान्त ही तहरीर किया था तथा दिनांक बिक्रीपत्र से ही प्रतिवादी संख्या 1 विवादित काश्त शुदा पर विधिवत काबिज व दखील चली आ रही है तथा वही उसकी स्वामिनी है। बाद बैनामा आज तक विवादित भूमि पर वादी तथा उसके कुदरती पिता मथुरा प्रसाद का कभी भी कब्जा व दखल नहीं रहा और न इस समय है। प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि का उचित प्रतिफल देने के उपरान्त ही सदभावी क्रेता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के द्वार तहरीर किया गया कथित बिक्री पत्र पूर्ण रूप से वैध है। अतः उपरोक्त कारणों के आधार पर उक्त वाद निरस्त किया जाये।

7- आदेश दिनांकित 18-03-1998 से प्रतिवादी संख्या 2 मथुरा प्रसाद पर समन की तामीला पर्याप्त मानते हुए उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गई। मथुरा प्रसाद ने हाजिर होकर अपना प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया है। केवल दावे को प्रतिवादी संख्या 01 श्रीमती कृष्णा देवी ने ही चुनौती दी है।

8- वादी द्वारा प्रतिवादपत्र 22 क के बाबत रैप्लिका (जवाबुलजवाब) 23 क प्रस्तुत करके कहा कि विवादित बैनामा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा हरगिज वादी की किसी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तहरीर नहीं किया गया और न विवादित बैनामा तहरीर किये जाने की दिनांक पर वादी को कोई वैधानिक आवश्यकता ही थी तथा विवादित बैनामा की दिनांक पर विवादित भूमि की कीमत मु० 40,000/- रुपये से बहुत अधिक थी। उस समय विवादित भूमि की कीमत किसी भी सूरत में दो लाख रुपये से कम न थी तथा वादी की जानकारी में प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 के हक में विवादित बैनामा तहरीर नहीं किया और न प्रतिवादीगण ने वादी को विवादित बैनामा की कभी कोई जानकारी बैनामा तहरीर करने से पूर्व या उसके पश्चात ही दी। विवादित बैनामा के सम्बन्ध में वादी को वाकई माह फरवरी सन 1995 सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पूर्व विवादित बैनामा के सम्बन्ध में

वादी को किसी प्रकार की कोई जानकारी न थी। उपरोक्त कारणवश वादी का दावा सव्यय हर सूरत में निरस्त होने योग्य है। निरस्त फरमाया जावै।

**9-** प्रस्तुत पत्रावली में अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 08-02-2000 को उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित 5 वाद बिन्दु विरचित किये गये-

- 1- क्या बैनामा दिनांक 18-02-1991 नविस्ता प्रतिवादी संख्या 2 मौसूमा प्रतिवादी संख्या 1 वादपत्र अभिकथित तथ्यों के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ?
- 2- क्या प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि का उचित प्रतिफल देकर सदभावी क्रेता है तथा वह बैनामा के दिनांक से उस पर काबिज है ?
- 3- क्या दावा वादी मौन सहमति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है?
- 4- क्या दावा वादी काल बाधित है ?
- 5- वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

**10-** वादी/प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त 6 ग के माध्यम से कागज संख्या सत्याप्रति बैनामा 7 ग, नकल गोदनांमा 8 ग, सूची 10 ग से नकल आर्डरशीट 11 ग दाखिल किया है।

**11-** अपीलार्थी/प्रतिवादी ने सूची 100 ग के माध्यम से खसरा 101 ग, 102 ग, खतौनी 103 ग, 104 ग दाखिल की है।

**12-** अपीलार्थी/प्रतिवादी ने अपील पत्रावली में फेहरिस्त 7 ग से कागज संख्या 8 ग एक किता नकल आदेश दिनांक 02-08-2011 न्यायालय सिविल जज (जूंडिं), शिकोहाबाद, फिरोजाबाद वाद संख्या 505/1997 हरीमोहन बनाम श्रीमती कृष्णा देवी आदि, फेहरिस्त 10 ग से कागज संख्या 11 ग एक किता वाद पत्र न्यायालय सिविल जज (जूंडिं), शिकोहाबाद, फिरोजाबाद वाद संख्या 505/1997 हरीमोहन बनाम श्रीमती कृष्णा देवी आदि, सूची 29 ग से एक मूल विक्रय पत्र की छायाप्रति विक्रय पत्र विक्रेता हरीमोहन दत्तक पुत्र जरजोधन क्रेता अवधेश कुमार पुत्र यशपाल सिंह तहरीर दिनांक 10-06-2015 की छाया प्रति दाखिल की है।

**13-** वादी द्वारा अवर न्यायालय में स्वयं को पी०डब्लू० 1 हरी मोहन, पी०डब्लू० 2 नेत्रपाल को परीक्षित कराया है।

**14-** प्रतिवादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में स्वयं को डी०डब्लू० 1 कृष्णा देवी, डी०डब्लू० 2 रोहिताश कुमार व डी०डब्लू० 3 मुनेश कुमार को परीक्षित कराया है।

**15-** अपीलार्थी की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिविरुद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित वाद बिन्दु सही नहीं थे और उनका निस्तारण भी विधि संगत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध

अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य की ठीक प्रकार से विवेचना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/अपीलार्थी के स्वीकार किये जाने योग्य साक्ष्य को अस्वीकार करके तथा वादी के अस्वीकार किये जाने अयोग्य साक्ष्य को स्वीकार किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य पूरी तरह से साबित है कि मथुरा प्रसाद ही वादी हरीमोहन के प्राकृतिक पिता एवं संरक्षक थे तथा बवक्त विवादित बैनामा खतौनी में भी मथुरा प्रसाद ही उसके संरक्षक अंकित थे। जरजोधन गोदग्रहीता कभी भी अवयस्क वादी हरीमोहन का संरक्षक नहीं रहा बाद गोदनामा वादी एवं जरजोधन कभी भी मथुरा प्रसाद से अलग नहीं रहे। जरजोधन अविवाहित थे। वादी का पालन पोषण हमेशा मथुरा प्रसाद ने ही किया। इन परिस्थितियों में निर्णय में अवर न्यायालय का निकाला गया यह निष्कर्ष कि मथुरा प्रसाद हरीमोहन का कुदरती पिता न होकर उसका डिफेक्टो गार्जियन था गलत है। बवक्त गोद वादी की उम्र लगभग ढाई वर्ष थी और गोदनामा के 2 साल बाद ही जरजोधन की मृत्यु हो गयी थी। उस स्थिति में मथुरा प्रसाद ने ही हरीमोहन का पालन पोषण उसके बालिग होने तक उसके नैचुरल गार्जियन के रूप में किया था। निर्णय में अवर न्यायालय का यह मानना कि विवादित बिक्री पत्र हरीमोहन व उसके परिवार की लीगल नैसेसिटी की पूर्ति हेतु नहीं किया गया था गलत है क्योंकि साक्ष्य में पी०डब्लू० 1 हरीमोहन व पी०डब्लू० 2 नेत्रपाल ने स्वीकारा है कि विवादित बैनामा के बाद हरीमोहन ने मोहनपुर में प्लाट खरीदा तथा अपनी दो बहिनों की शादी की।

**16-** पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि विवादित बिक्री पत्र वादी हरीमोहन के कुदरती पिता मथुरा प्रसाद ने बहैसियत संरक्षक व कुदरती पिता हरीमोहन, परिवार के कर्ता की हैसियत से परिवार की नैसेसिटी की पूर्ति हेतु किया था जो विधि संगत है जिसे अमान्य कर अवर न्यायालय ने त्रुटि की है। अवर न्यायालय ने हिन्दु अप्राप्त व्यय संरक्षक अधिनियम 1956 की जिन धाराओं का उल्लेख निर्णय में किया है वह इस केस की परिस्थितियों में प्रभावी नहीं है। दावा वादी निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया गया जबकि वादी को उसकी जानकारी थी। अवर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का कोई जिक्र अपने निर्णय में नहीं किया है। न्यायालय ने जिन न्यायिक व्यवस्थाओं का उल्लेख अपने निर्णय में किया है वे वाद की परिस्थितियों को देखते हुए मान्य नहीं थी। विवादित भूमि पर प्रतिवादी/अपीलांट का कब्जा साबित है। उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वाद को हर हाल में खारिज किये जाने योग्य था जिसमें न्यायालय ने भारी भूल की है। अवर न्यायालय के मूल वाद की पत्रावली को तलब किया जाकर उसमें पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02-08-2011 को निरस्त कर दावा वादी खारिज किया जाने की प्रार्थना की गयी है।

17- प्रत्यर्थी/वादी की ओर से कथन किया गया है कि प्रस्तुत अपील बिल्कुल निराधार है। वाद की कार्यवाही विलम्बित करने के उद्देश्य से की गयी है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी बैनामा के समय से ही काबिज व दखील है तथा मकान बना है। आलोच्य निर्णय व आदेश पारित करने में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उनके द्वारा समस्त साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जाये।

18- प्रस्तुत अपील में प्रतिवादी संख्या 2 मथुरा प्रसाद पर दोनों प्रकार से नोटिस तामिल की। जिसे प्रतिवादी संख्या 2 मथुरा प्रसाद ने लेने से इंकार कर दिया। न्यायालय के आदेश दिनांकित 02-08-2011 से प्रतिवादी संख्या 2 मथुरा प्रसाद पर नोटिस की तामिला पर्याप्त मान ली। एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया। दौरान अपील वादी हरीमोहन ने विवादित भूमि का विक्रय दिनांक 10-06-2015 को अवधेश कुमार के पक्ष में कर दिया जिन्हें अपील के पक्षकार बनाकर उनपर नोटिस तामिल की गई। वह अपील में उपस्थित है।

19- अपीलार्थीगण/प्रतिवादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्था दाखिल की गयी है।

1- Sec. 4 The Guardians And Wards Act 1890.

2- Sec. 3 The Majority Act, 1875.

3- Article 59 & 60 (a) The Limitation Act, 1963.

4- **Surta Singh Vs Pritam Singh AIR 1983**

**Punjab and Haryana High Court (Full Bench) 114** में कहा गया है कि प्राकृतिक संरक्षक द्वारा किये गये बैनामों को निरस्त करने के लिए अवयस्क धारा 8 (i) एवं (ii) Hindu Minority & Guardianship Act व Article 60 The Limitation Act के अनुसार व्यस्क होने के तीन वर्ष के अन्दर वाद ला सकता है।

5- **Murugan and Ors Vs Kesava Gounder (Dead) Thr. LRs. And others 2019(2) JCLR 254(SC)**. इस मामले में बिना जिला न्यायालय की अनुमति के अवयस्क की सम्पत्ति संरक्षक द्वारा विक्रय कर दी। दावा अनुच्छेद 60 परिसीमा अधिनियम से बाधित है क्योंकि दावा व्यस्क होने के तीन वर्ष बीतने के उपरान्त दायर किया गया है। धारा 8 Hindu Minority & Guardianship Act के अनुसार प्राकृतिक पिता अवयस्क की आवश्यकताएँ/जरूरत जो युक्तियुक्त हो और उचित हो उन्हें पूर्ण करने के लिए जो उसके लिए फायदेमंद हो, सहारे के लिए हो या उसकी सम्पदा के हितार्थ बैनामा आदि कर सकता है, इसके विपरीत है तो वह शून्यकरणीय प्रलेख होगा।

6- **Maya Shanker and another Vs The Deputy Director of Consolidation, Varanasi and Others. Civil Misc. Writ Petition No 3929 of 1983** में कहा कि Sec 8 Hindu Minority & Guardianship Act कृषि सम्पत्ति पर लागू नहीं। प्राकृतिक संरक्षक ने जनपद न्यायाधीश की अनुमति के बिना अवयस्क की सम्पत्ति बेच दी तो बैनामा शून्य नहीं, शून्यकरणीय होगा। जिसका खण्डन/प्रवर्तन अवयस्क बालिग होने पर म्याद अधिनियम के अनुसार करा सकता है।

7- **Amirtham kudumbah Vs Sarnam Kudumban AIR 1991 (SC) 1256.** अवयस्क की सम्पत्ति उसके प्राकृतिक संरक्षक ने न्यायालय की अनुमति के बिना तथा अवयस्क की विधिक आवश्यकताओं के बिना विक्रय कर दी। अवयस्क द्वारा वयस्क होने के तीन वर्ष के अन्दर, संरक्षक द्वारा किये बैनामे को अपास्त कराने का दावा दायर कर सकता है उसके बाद नहीं। अनुकरणीय है।

20- प्रत्यर्थागण/वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाएं दाखिल की हैं-

1- Sec. 12 Hindu Adoption & Maintenance Act.

2- Sec. 11 Hindu Minority & Guardianship Act. 1956.

वस्तुतः संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति के साथ कोई सौदा नहीं कर सकता।

3- **Dhiraj Singh Vs Sripal Singh & Another 2009 (108) RD 685.** इस विधि व्यवस्था में अवयस्क की सम्पत्ति का अन्तरण न्यायालय की अनुमति के बिना संरक्षक द्वारा करने पर क्या प्रभाव होगा, बताया है।

4- **Ram Vriksha Vs Assistant Director of Consolidation & another 2005 (99) RD 295** में कहा कि शून्य दस्तावेज को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है।

5- **M/s Laxmi Bricks & Others Vs Dariyab Singh 2020 (138) ALR 380** में कहा कि संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति का बटवारा व संरक्षक नियुक्ति से सम्बन्धित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं।

6- **Ganayya and Another Vs Radhabai & others 2000 (91) 164 (SC)** एवं **Madhegowda Vs Ankegowda & Other 2002 (93) RD 50 (SC)** उभय विधि व्यवस्थाओं में कहा गया है कि Hindu Minority & Guardianship Act के लागू होने के उपरान्त हिन्दू अवयस्क की सभी प्रकार की सम्पत्तियों को कोई भी अन्तरित नहीं कर सकता है।

21- प्रस्तुत अपील के सापेक्ष में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना तथा अवर न्यायालय एवं अपील पत्रावली का सम्यक परिशीलन दाखिल विधि व्यवस्थाओं के आलोक में किया।

22- अवर न्यायालय की पत्रावली एवं अपील पत्रावली में लिए गये आधारों पर निम्न अवधार्य बिन्दु यह अपीलीय न्यायालय विरचित किया जाना न्यायोचित समझती है जिसके आधार पर प्रस्तुत अपील का निस्तारण युक्तियुक्त रूप से विधिनुसार किया जा सकेगा, जो निम्नवत हैं:-

- 1- क्या बैनामा दिनांक 18-02-1991 जो प्रतिवादी संख्या 2 मथुरा प्रसाद ने प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णा देवी के हक में किया है, वादपत्र अभिकथनों के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ?
- 2- क्या दावा वादी काल बाधित है ?
- 3- क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

अपील में लिये गये आधारों पर अन्य कोई अवधार्य बिन्दु विरचित किये जाने योग्य नहीं है और न ही बनाये जाने हेतु उभयपक्ष ने बल दिया है।

### अवधार्य बिन्दु संख्या 1 व 2 का निस्तारण

23- 1- क्या बैनामा दिनांक 18-02-1991 जो प्रतिवादी संख्या 2 मथुरा प्रसाद ने प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णा देवी के हक में किया है, वादपत्र अभिकथनों के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ?

2- क्या दावा वादी काल बाधित है ?

24- उभय अवधार्य बिन्दुओं में तथ्य, साक्ष्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न अन्तर्निहित है। अतः अवधार्य बिन्दु संख्या 1 व 2 का निस्तारण एक साथ निम्नवत् किया जाना न्यायोचित है।

25- अपीलार्थिनी/प्रतिवादिनी ने तर्क लिया कि गोद लेते समय वादी की उम्र ढाई वर्ष की थी और गोदनामा के दो साल बाद जरजोधन की मृत्यु हो गई। उस स्थिति में मथुरा प्रसाद ने ही हरीमोहन, वादी का पालन पोषण उसके बालिग होने तक उसके नैचुरल गार्जियन के रूप में किया था। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने गोदनामा पंजीकृत दिनांक 11-10-1976 लिखे जाते समय अपनी उम्र दो-ढाई वर्ष की होना कहा है। गोदनामा लिखे जाने के दो वर्ष के बाद ही जरजोधन की मृत्यु हो गई और वादी की परवरिश उसके पिता मथुरा प्रसाद ही करते रहे। अपीलार्थिनी/प्रतिवादिनी ने अपने प्रतिवाद पत्र से वाद पत्र की धारा 2 व 3 को स्वीकार किया और अतिरिक्त कथन में कहा कि जरजोधन मथुरा प्रसाद के खानदानी चाचा थे और वह गोदनामा के पूर्व से ही मथुरा प्रसाद के साथ रहते थे। वादी गोद लेने के उपरान्त वादी तथा जरजोधन, मथुरा प्रसाद के साथ ही रहे तथा जरजोधन की मृत्यु उपरान्त वादी मथुरा प्रसाद के साथ अपनी नाबालिगी के दौरान रहा। मथुरा प्रसाद सदा ही उसके



संरक्षक रहे और उसकी परवरिश उन्होंने बहैसियत संरक्षक की। वादी मथुरा प्रसाद के साथ ही बहैसियत सदस्य संयुक्त परिवार रहता चला आ रहा है। गोदनामा लेने के ढाई वर्ष बाद जरजोधन की मृत्यु हो गई और मथुरा प्रसाद कुदरती पिता ने वादी को बहैसियत संरक्षक दौरान नाबालिगी वादी की परवरिश की। मथुरा प्रसाद सदैव वादी का संरक्षक रहा है तथा राजकीय भू-अभिलेखों तथा स्कूल रजिस्टर प्रा०पा० चिड़रई पृथ्वी सिंह में उसकी वल्लियत व संरक्षक में कुदरती पिता मथुरा प्रसाद का ही नाम अंकित चला आ रहा है।

**26-** वादी हरीमोहन ने वाद पत्र के समर्थन में कोई अभिलेख ऐसा दाखिल नहीं किया जिसमें उसके पिता मथुरा प्रसाद के नाम के स्थान पर उसके दत्तक ग्रहिता पिता जरजोधन का नाम अंकित हो। इसके विपरित प्रतिवादिनी ने सूची 100 ग से 103 ग खाता संख्या 54 रकबा 1.99 एकड़ की षठवार्षिक खतौनी दाखिल की है जिसमें तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-10-1992 में विक्रेता हरीमोहन भ०व० संरक्षक पिता मथुरा प्रसाद का नाम निरस्त होकर श्रीमती कृष्णा देवी का नाम बैनामे के आधार पर बतौर सं०भू० दर्ज किये जाने का आदेश पारित किये गये। इस अमलदरामद के आदेश को वादी हरीमोहन ने किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। वादी हरीमोहन ने अपने मौखिक साक्ष्य शपथ पत्र में जरजोधन द्वारा गोद लेने के उपरान्त वह मथुरा प्रसाद के पुत्र के स्थान पर जरजोधन का दत्तक पुत्र हो गया और उनके साथ रहकर परवरिश पाना कहा है और जरजोधन की मृत्यु उपरान्त उसके प्रकृतिक पिता मथुरा प्रसाद द्वारा ही उसकी परवरिश करना कहा है। वादी ने जिरह में कहा कि मेरे पिता जरजोधन थे जो खत्म हो गये। उनके खत्म होने के बाद अपने पिता मथुरा प्रसाद के साथ बचपन के आठ-दस साल 1976-1986 तक मथुरा प्रसाद के साथ रहा। जरजोधन की शादी नहीं हुई थी। जरजोधन ने जब मुझे गोद लिया था तो मेरी उम्र दो-ढाई वर्ष की रही होगी। इस कथन का समर्थन पी० डब्लू० 2 नेत्रपाल ने भी अपनी साक्ष्य से किया है और इस साक्षी ने यह भी कहा कि गोद लेने के बाद हरीमोहन, जरजोधन और मथुरा प्रसाद एक ही साथ रहते थे। जरजोधन के मरने के बाद हरीमोहन मथुरा प्रसाद के साथ सात-आठ साल रहे। बड़े होने के बाद मुझे किसी ने नहीं बताया कि जरजोधन मथुरा प्रसाद के साथ रहते हो और ना मैंने किसी से जानने की कोशिश की। जरजोधन के मरने के पश्चात मेरा पालन पोषण मथुरा प्रसाद ने ही किया, फिर भी 25-26 वर्ष से मथुरा प्रसाद से बातचीत नहीं होना कहा है। साक्षी ने प्रतिवादिनी द्वारा दाखिल कागज संख्या 103 ग षठवार्षिक खतौनी की प्रविष्टी को प्रमाणित करते हुए कथन किया कि जरजोधन की जमीन का जो दाखिल खारिज हुआ था उसमें संरक्षक मेरे कुदरती पिता मथुरा प्रसाद का नाम लिखा हुआ है।

**27-** आधार अपील, अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के कथनों से स्पष्ट है कि उभयपक्ष को यह तथ्य स्वीकार है कि वादी हरीमोहन का दत्तक उसके प्रकृतिक पिता

मथुरा प्रसाद द्वारा पंजीकृत गोदनामा दिनांक 11-10-1976 से जरजोधन के पक्ष में किया गया। गोदनामों के उपरान्त हरीमोहन अपने दत्तक पिता जरजोधन के पास ही रहा और उन्हींने उसका लालन-पालन किया। जरजोधन की मृत्यु उपरान्त वादी हरीमोहन का लालन-पालन उसके प्रकृतिक पिता मथुरा प्रसाद द्वारा ही किया गया। हरीमोहन जरजोधन का दत्तक पुत्र होने के नाते जरजोधन की समस्त सम्पत्ति का मालिक काबिज हो गया। **धारा 12 दत्तक के परिणाम- हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956** दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजनों के लिए समझा जायेगा और ऐसी तारीख से यह समझा जायेगा कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुम्ब के साथ समस्त बन्धन टूट गए हैं और उसका स्थान उन बन्धनों ने ले लिया है जो दत्तक कुटुम्ब के दत्तक के कारण सृजित हुए थे।

**28-** उपरोक्त धारा 12 से यह स्पष्ट हो जाता है कि दत्तक की दिनांक से दत्तक अपत्य के अपने जन्म के कुटुम्ब परिवार के साथ समस्त बन्धन टूट जाते हैं और उनके स्थान पर नवसृजित बन्धन उत्पन्न हो जाते हैं जो दत्तक कुटुम्ब में दत्तक के कारण सृजित होते हैं। समस्त प्रयोजन के लिए धारा 12 में निहित प्रावधानों से सुस्पष्ट है कि जरजोधन की मृत्यु के उपरान्त उनके दत्तक पुत्र के रूप में वादी हरीमोहन को वे समस्त भूमि सम्बन्धी अधिकार गाटा संख्या 54 रकबा 1.99 एकड़ में प्राप्त हुए जो उसके दत्तक पिता जरजोधन को प्राप्त थे और उसके प्राकृतिक पिता मथुरा प्रसाद की सम्पदा में उसका अधिकार दत्तक के दिनांक से समाप्त हो गया।

**29-** विवाद की स्थिति वहां उत्पन्न हुई जहाँ उसके प्रकृतिक पिता मथुरा प्रसाद ने हरीमोहन को उसके दत्तक पिता जरजोधन से प्राप्त सम्पत्ति को हरीमोहन के अवयस्क होने के दौरान स्वतः उक्त सम्पत्ति का मालिक बताते हुए श्रीमती कृष्णा देवी/अपीलार्थिनी के पक्ष में, पंजीकृत बैनामा दिनांक 18-02-1991 से मु० 40,000/- रुपये लेकर विक्रय कर दिया। हरीमोहन ने वयस्क होने के उपरान्त उक्त बैनामा दिनांक 18-02-1991 जो उसके प्राकृतिक पिता मथुरा प्रसाद द्वारा अपीलार्थिनी के पक्ष में किया था को बिना किसी अधिकार एवं आवश्यकता के किया जाना बताते हुए उसके निरस्तीकरण का दावा वयस्क होने के लगभग 5 वर्ष उपरान्त दायर किया। अपीलार्थिनी/प्रतिवादी श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा वादी का उक्त दावा कालबाधित होना कहा गया है जो प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार है।

**30-** वादी हरीमोहन ने अपने द्वारा प्रस्तुत मूलवाद संख्या 505/1997 हरीमोहन बनाम कृष्णा देवी आदि में अपनी उम्र 23 वर्ष होना अंकित की है। उक्त दावा वादी द्वारा दिनांक 28-07-1997 को सिविल जज जू०डि० शिकोहाबाद के न्यायालय में दायर किया गया। वादपत्र कथन के अनुसार वादी ने गोदनामा लिखे जाते समय अपनी उम्र दो-ढाई वर्ष की होना कहा तथा गोदनामा दिनांक 11-10-1976 को पंजीकृत किया गया था। ऐसी स्थिति में वादी हरीमोहन का जन्म अप्रैल 1974 के

लगभग हुआ होगा। वादी के अन्य साक्षी पी०डब्लू० 2 नेत्रपाल ने अपनी मौखिक साक्ष्य व जिरह में वादी हरीमोहन की उम्र जरजोधन द्वारा गोद लेते समय दो-ढाई वर्ष होना कहा है। प्रतिवादिनी डी०डब्लू० 1 कृष्णा देवी ने अपने साक्ष्य शपथपत्र से वादी कथन का समर्थन किया है। वादी ने यह भी स्वीकार किया कि जरजोधन की मृत्यु उपरान्त जरजोधन की समस्त सम्पत्ति उसके दत्तक पुत्र होने के नाते वादी हरीमोहन को स्वतः वारिसान प्राप्त हो गयी। उक्त सम्पत्ति में विधिनुसार उसके प्राकृतिक पिता को कोई अधिकार विक्रय अथवा व्ययन करने का प्राप्त नहीं होगा। हरीमोहन के अवयस्क रहने की स्थिति में वह केवल उसकी देखभाल व खाना-खर्च आदि के लिए ही उसकी सम्पत्ति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

**31-** उक्त बैनामा अवयस्क हरीमोहन को अपने दत्तक पिता जरजोधन से विरासत में प्राप्त सम्पत्ति का, उसके प्राकृतिक पिता मथुरा प्रसाद ने कृष्णा देवी के हक में किया, जिसे, उन्हें बैनामा करने का कतई अधिकार नहीं था क्योंकि वह अब अपने पुत्र हरीमोहन को दत्तक देने के उपरान्त उसके प्राकृतिक पिता होते हुए भी केवल वस्तुतः संरक्षक थे। उन्हें दत्तक पिता से हरीमोहन को प्राप्त होने वाली सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। **धारा 11 - हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार-** वस्तुतः संरक्षक अप्राप्तवय की सम्पत्ति के बारे में संव्यवहार नहीं करेगा- इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह अप्राप्तवय का वस्तुतः संरक्षक है, उस हिन्दू अप्राप्तवय की सम्पत्ति का व्ययन या सव्यवहार करने का हकदार न होगा। मथुरा प्रसाद उक्त सम्पत्ति को अवयस्क की सम्पत्ति एवं उसकी आवश्यकताओं एवं भरण-पोषण आदि के लिए केवल न्यायालय की अनुमति से ही उक्त सम्पत्ति का बैनामा कर सकते थे परन्तु प्रस्तुत मामले में वादी ने कहा कि उसको अपनी आवश्यकता एवं भरण-पोषण के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वादी ने अपने बयान में स्वयं कहा कि वह खेती करके उसकी आय से अपनी गुजर-बसर कर लेता है। उसे अधिक धन की आवश्यकता नहीं थी। उसके प्राकृतिक पिता ने विधि के विपरीत कृष्णा देवी के हक में बैनामा कर दिया है जिसका मथुरा प्रसाद को कतई अधिकार नहीं था।

**32-** **धारा 8- हिन्दू अप्राप्तवय संरक्षक अधिनियम 1956** में निहित प्रावधानों से स्पष्ट है कि धारा 8 नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि संरक्षक किसी भी दशा में अप्राप्तवय को वैयक्तिक प्रसंविदा के द्वारा आबद्ध नहीं कर सकता और नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो अप्राप्तवय सम्पत्ति के किसी भी भाग को बन्धक या भारित अथवा विक्रय, दान विनिर्माण द्वारा अन्यथा अन्तरित नहीं करेगा तथा इसी धारा 8(4) में यह भी प्रावधान दिये गये हैं कि कोई भी न्यायालय नैसर्गिक संरक्षक की उपधारा (2) में वर्णित कार्यों में से किसी को भी करने की अनुज्ञा नहीं देगा। सिवाय उस दशा के जबकि वह आवश्यक

हो या अप्राप्तवय की भलाई के लिए हो। प्रस्तुत मामले में वादी हरीमोहन के प्रकृतिक पिता मथुरा प्रसाद द्वारा हरीमोहन की भलाई के लिए उक्त सम्पत्ति का विक्रय किया जाना अत्यन्त आवश्यक बताते हुए न्यायालय से अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई है।

**33- Maya Shanker and another Vs The Deputy Director of Consolidation, Varanasi and Others. Civil Misc. Writ Petition No 3929 of 1983** में कहा कि Sec 8 Hindu Minority & Guardianship Act कृषि सम्पत्ति पर लागू नहीं। प्राकृतिक संरक्षक ने जनपद न्यायाधीश की अनुमति के बिना अवयस्क की सम्पत्ति बेच दी तो बैनामा शून्य नहीं, शून्यकरणीय होगा। जिसका खण्डन/प्रवर्तन अवयस्क बालिग होने पर म्याद अधिनियम के अनुसार करा सकता है। ऐसी स्थिति में मथुरा प्रसाद को वादी की उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि मथुरा प्रसाद ने कभी नहीं कहा कि वह उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। उनके द्वारा उक्त बैनामा वादी हरीमोहन का वस्तुतः संरक्षक बताते हुए कृष्णा देवी के पक्ष में निष्पादित किया जबकि मथुरा प्रसाद को दत्तक पुत्र की सम्पत्ति जो उसे दत्तक पिता से प्राप्त हुई है, का बैनामा/विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है।

**34-** अपीलार्थिनी/प्रतिवादिनी ने कथन किया कि मथुरा प्रसाद ही वादी हरीमोहन के प्रकृतिक पिता व संरक्षक हैं। बवक्त विवादित बैनामा खतौनी में मथुरा प्रसाद ही उसके संरक्षक अंकित थे। जरजोधन गोदग्रहिता कभी भी अवयस्क हरीमोहन का संरक्षक नहीं रहा। गोद लिये जाने के बाद वादी व जरजोधन कभी भी मथुरा प्रसाद से अलग नहीं रहे हैं इस कथन को वादी एवं प्रतिवादी के साक्षियों द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य से साबित किया गया है। जरजोधन अविवाहित थे। वादी का पालन पोषण मथुरा प्रसाद ने ही किया था। इसलिए अवर न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष मथुरा प्रसाद, हरीमोहन का कुदरती पिता न होकर मात्र उसका डिफेक्टो गार्जियन/वस्तुतः संरक्षक था, सही निर्णीत किया गया।

**35-** पत्रावली में सूची 6 ग से दाखिल बैनामा 7 ग दिनांक 18-02-1991 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि मथुरा प्रसाद ने कृष्णा देवी को कब्जा दखल बैनामों के समय ही दे दिया था। तभी से कृष्णा देवी उक्त सम्पत्ति पर मालिक काबिज थी और उसका नाम खसरा खतौनी में भी अमलदरामद हो गया था। उक्त बैनामा 40,000/- रुपये में तय हुआ था जिसमें से 29,000/- रुपये पहले व शेष 11,000/- रुपये बवक्त रजिस्ट्री दिया जाना था, प्राप्त कर रजिस्ट्री की गई थी। मथुरा प्रसाद ने कृष्णा देवी को बैनामों के समय Good Title की गारण्टी दी थी। बैनामों के साक्षी राजनलाल व मुरारीलाल तथा लेखक रोशन सिंह थे। प्रश्नगत बैनामा निष्पादन के समय मथुरा प्रसाद ने कृष्णा देवी के हक में किये गये बैनामों में अपने पुत्र हरीमोहन की उम्र केवल 9 वर्ष अंकित की है। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा 10 ब में

बैनामे के समय अपनी उम्र 17 वर्ष के लगभग होना कहा है। इस कथन का समर्थन वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य कागज संख्या 86 क/2 की अंतिम पंक्ति में कहा कि बैनामा विवादित के समय मेरी उम्र 17 वर्ष की थी। दावा करते समय वादी ने अपनी उम्र 23 वर्ष होना कहा है। प्रतिवादिनी डी०डब्लू० 1 कृष्णा देवी ने अपने मौखिक साक्ष्य शपथपत्र एवं जिरह में कहा है कि बैनामों के समय वादी की उम्र 17 वर्ष छः माह थी। इस कथन का समर्थन डी०डब्लू० 2 रोहताश एवं डी०डब्लू० 3 मुनेश कुमार ने अपने साक्ष्य शपथपत्र एवं जिरह से किया है। आयु के सम्बन्ध में वादी हरीमोहन द्वारा कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो सके कि वादी की सही उम्र बैनामों के समय क्या थी। ऐसी स्थिति में वादी के स्वयं कथन एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा उस कथन का समर्थन करने के कारण इस तथ्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता कि वादी के प्रकृतिक पिता मथुरा प्रसाद द्वारा कृष्णा देवी को किये गये बैनामों के समय वादी हरीमोहन की उम्र 17 वर्ष नहीं थी। ऐसे में यह माना जायेगा कि वादी हरीमोहन की उम्र बैनामे के समय 17 वर्ष से अधिक थी।

**36-** उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मथुरा प्रसाद द्वारा कृष्णा देवी के हक में पंजीकृत बैनामा निष्पादित करते समय वादी हरीमोहन की उम्र 17 वर्ष से अधिक थी। वादी ने बैनामा दिनांक 18-02-1991 को निरस्त कराने का दावा दिनांक 28-07-1997 को सिविल जज जू०डि०, शिकोहाबाद में दायर किया था। दावा दायर करते समय वादी ने वाद पत्र में अपनी उम्र 23 वर्ष होना अंकित किया है। **परिसीमा अधिनियम, 1963 के भाग 4- (डिक्री और लिखत सम्बन्धी वाद) अनुच्छेद 59 व 60 के अनुसार-**

परिसीमा अधिनियम, 1963, भाग 4- डिक्री और लिखत सम्बन्धी वाद			
अनुच्छेद	वाद का वर्णन	परिसीमा काल	वह समय, जब से काल चलना आरम्भ होता है।
59-	लिखत या डिक्री को रद्द या अपास्त करने के लिये या संविदा को विखंडित करने के लिए।	तीन वर्ष	जब वे तथ्य वादी को पहली बार ज्ञात होते हैं जिनसे लिखत या डिक्री को रद्द या अपास्त या संविदा को विखंडित कराने का हक उसे प्राप्त होता है।
60-	प्रतिपाल्य के संरक्षक द्वारा किये गये सम्पत्ति के अन्तरण को अपास्त करने के लिए-		
(क)	प्रतिपाल्य द्वारा जो प्राप्तव्य हो गया है।	तीन वर्ष	जब प्रतिपाल्य वय प्राप्त करें।

37- प्रस्तुत मामले में अनुच्छेद 60 (क) परिसीमा अधिनियम 1963 एवं निम्न विधि व्यवस्था लागू होती है-

**Surta Singh Vs Pritam Singh AIR 1983 Punjab and Haryana High Court (Full Bench) 114** में कहा गया है कि प्राकृतिक संरक्षक द्वारा किये गये बैनामें को निरस्त करने के लिए अवयस्क धारा 8 (i) एवं (ii) Hindu Minority & Guardianship Act व Article 60 The Limitation Act के अनुसार व्यस्क होने के तीन वर्ष के अन्दर वाद ला सकता है। उसके बाद नहीं।

**Murugan and Ors Vs Kesava Gounder (Dead) Thr. LRs. And others 2019(2) JCLR 254(SC)**. इस मामले में बिना जिला न्यायालय की अनुमति के अवयस्क की सम्पत्ति संरक्षक द्वारा विक्रय कर दी। दावा अनुच्छेद 60 परिसीमा अधिनियम से बाधित है क्योंकि दावा व्यस्क होने के तीन वर्ष बीतने के उपरान्त दायर किया गया है। धारा 8 Hindu Minority & Guardianship Act के अनुसार प्राकृतिक पिता अवयस्क की आवश्यकताएँ/जरूरतें जो युक्तियुक्त हो और उचित हो उन्हें पूर्ण करने के लिए जो उसके लिए फायदेमंद हो, सहारे के लिए हो या उसकी सम्पदा के हितार्थ बैनामा आदि कर सकता है, इसके विपरीत है तो वह शून्यकरणीय प्रलेख होगा।

**Amirtham kudumbah Vs Sarnam Kudumban AIR 1991 (SC) 1256**. अवयस्क की सम्पत्ति उसके प्राकृतिक संरक्षक ने न्यायालय की अनुमति के बिना तथा अवयस्क की विधिक आवश्यकताओं के बिना विक्रय कर दी। अवयस्क द्वारा वयस्क होने के तीन वर्ष के अन्दर, संरक्षक द्वारा किये बैनामे को अपास्त कराने का दावा दायर कर सकता है उसके बाद नहीं। उपरोक्त विधि व्यवस्थायें उपरोक्त मामले में अनुकरणीय है।

38- उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी हरीमोहन को वयस्क होने के तीन वर्ष के अन्दर प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 18-02-1991 (जो उसके प्राकृतिक पिता मथुरा प्रसाद द्वारा कृष्णा देवी के हक में किया गया था) को निरस्त कराने के लिए दावा प्रस्तुत करना था परन्तु वादी हरीमोहन ने उक्त दावा वयस्क होने के लगभग 5 वर्ष के उपरान्त दायर किया है। ( हरीमोहन का जन्म लगभग अप्रैल 1974 में हुआ + 18 वर्ष व्यस्यकता = 1992 + म्याद अवधि 3 वर्ष = 1995, 21 वर्ष तक दावा कर सकता था, परन्तु उसके भी दो वर्ष द्वारा 28 जुलाई 1997 में किया है, जबकि रैप्लिका 23 क के पैरा 8 के अनुसार प्रश्नगत बैनामें की जानकारी सर्वप्रथम फरवरी 1995 में होना स्वीकार किया है। फिर क्यों बालिग (1992 में) होने के 5 वर्ष बाद बैनामा निरस्तीकरण का यह दावा किया। इसको स्पष्ट नहीं किया है। जबकि कथित बैनामें की जानकारी वादी को 15 वर्ष की उम्र में होश संभालने से ही थी ) जबकि

अपीलार्थिनी/प्रतिवादिनी द्वारा दाखिल खारिज की कार्यवाही जो तहसीलदार के न्यायालय में लम्बित थी, में आपत्ति दाखिल की गयी है और वादी को अपने प्राकृतिक पिता मथुरा प्रसाद द्वारा कृष्णा देवी के हक में किये गये बैनामे की जानकारी माह फरवरी 1995 से थी। उसके बावजूद वादी द्वारा यह दावा माह जुलाई 1997 को अत्यन्त विलम्ब से दायर किया गया है।

**39-** प्रतिपाल्य संरक्षक द्वारा सम्पत्ति अंतरण को अपास्त कराने के लिए परिसीमा अधिनियम में उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से वर्णित है जिसका अनुपालन वादी को करते हुए वयस्क होने ( वर्ष 1992)के बाद, तीन वर्ष के अन्दर (वर्ष 1995 तक ) प्रश्नगत बैनामें को निरस्त कराने का दावा सक्षम न्यायालय में दायर करना चाहिए था जिसे वादी हरीमोहन दायर करने में असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में वादी हरीमोहन द्वारा प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 18-02-1991 जो उसके प्राकृतिक पिता मथुरा प्रसाद द्वारा अपीलार्थिनी/ प्रतिवादिनी कृष्णा देवी के हक में किया गया है, को निरस्त कराने के लिए वाद दायर किया गया वह परिसीमा अधिनियम से बाधित है।

**40-** सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11- वादपत्र का नामंजूर किया जाना- (घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार वादी हरीमोहन का वादपत्र श्रीमती कृष्णा देवी आदि के विरुद्ध पोषणीय न होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नामंजूर किये जाने योग्य है।

**41-** उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी हरीमोहन को विवादित बैनामें को निरस्त कराने का विधिक अधिकार परिसीमा अधिनियम के अनुसार वयस्क होने के उपरान्त केवल तीन वर्ष तक ही उसे प्राप्त था। वादी की इच्छा पर बैनामा शून्यकरणीय था परन्तु समयावधि तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण उक्त अनुतोष कालबाधित हो गया। जिसका प्रवर्तन विधि द्वारा वर्जित है। प्रस्तुत वाद के माध्यम से वादी विवादित बैनामें को निरस्त कराने का अधिकारी नहीं है और दावा कालबाधित है। उभय अवधार्य बिन्दु तदनुसार निस्तारित किये जाते हैं।

### अवधार्य बिन्दु संख्या 3 का निस्तारण

**3-** क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

**42-** वादी हरीमोहन ने प्रस्तुत वाद के माध्यम से प्रश्नगत बैनामा दिनांक 18-02-1991 को निरस्त कराने के लिए दावा दायर किया था। वादी का वादपत्र परिसीमा अधिनियम से बाधित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 (d) सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार नामंजूर किये जाने योग्य है। मुख्य अवधार्य बिन्दु संख्या 1 व 2 के आधार पर प्रस्तुत वाद के माध्यम से बांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी था परन्तु पत्रावली में दाखिल साक्ष्य एवं विधिक उपबन्धों के आधार पर अवधार्य बिन्दु वादी के विरुद्ध निस्तारित किये जा चुके हैं फलस्वरूप वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रस्तुत

वाद के माध्यम से प्रतिवादिनी/अपीलार्थिनी के विरुद्ध कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

**43-** अवर न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्ष की साक्ष्य का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत गहनता से अवमूल्यांकन न करके वादी के पक्ष में सरसरी तौर पर विधि के प्रतिकूल जाकर अपना अभिमत दिया है जो कि पोषणीय नहीं है।

**44-** उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेरी राय में उक्त मूल वाद संख्या 505/1997 हरीमोहन बनाम श्रीमती कृष्णा देवी आदि में विद्वान सिविल जज, जू०डि० शिकोहाबाद द्वारा पारित आलोच्य निर्णय/आदेश दिनांक 02-08-2011 विधि एवं तथ्यों के विपरीत है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना अति आवश्यक है। अवर न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय एवं आदेश दिनांक 02-08-2011 अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

**45-** मूल वाद संख्या 505/1997 हरीमोहन बनाम श्रीमती कृष्णा देवी आदि में विद्वान सिविल जज (जू०डि०), शिकोहाबाद, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 02-08-2011 के विरुद्ध यह अपील सव्यय स्वीकार की जाती है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय/आदेश दिनांक 02-08-2011 अपास्त किया जाता है। वादी का दावा कालबाधित होने के कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध सव्यय निरस्त किया जाता है।

मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु तत्काल वापस भेजी जाये।

( विजय कुमार आजाद )

दिनांक 04-03-2021

अपर सत्र न्यायाधीश,  
कोर्ट सं०-7, फिरोजाबाद।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

( विजय कुमार आजाद )

दिनांक 04-03-2021

अपर सत्र न्यायाधीश  
कोर्ट सं०-7, फिरोजाबाद